2023/133

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री भगवानाराम पुत्र श्री खंगाराराम
निवासी होटल अशोका, चाचा
म्यूजियम के पास आबूपर्वत
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** — मुकदमा नं. 28 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.08.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को दिनांक 10.06.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि न्यायालय से स्थगन होने का तथ्य छिपाकर ग्राम कासिन्द्रा पटवार हल्का अचपुरा में स्थित खसरा संख्या 103/414 की कृषि भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करने से रूपान्तरण आदेश खारिज करने एवं कार्यवाही करने बावत् अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.05.2023 को उपखण्ड अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर क्या कार्यवाही हुई उसकी प्रमाणित प्रति एवं भू–उपयोग परिवर्तन आदेश क्रमांक/एलसी/2022–23/153153 दिनांक 12.04.2023 की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमां करा दिये है । अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को दिनांक 10.06.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि न्यायालय से स्थगन होने का तथ्य छिपाकर ग्राम कासिन्द्रा पटवार हल्का अचपुरा में स्थित खसरा संख्या 103/414 की कृषि भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करने से रूपान्तरण आदेश खारिज करने एवं कार्यवाही करने बावत् अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.05.2023 को उपखण्ड अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर क्या कार्यवाही हुई उसकी प्रमाणित प्रति एवं भू– उपयोग परिवर्तन आदेश क्रमांक/एलसी/2022–23/153153 दिनांक 12.04.2023 की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner